25-8-2020

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी मदन सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, उम्र 21 वर्ष, जाति– राजपूत, निवासी– माकोला सिसोदिया, राजसमन्द, जिला– राजसमन्द, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, श्रीजी रेस्टोरेन्ट, जैन मंदिर के पास, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 11.11.2019 को जिस मेदा का नमूना जांच के लिये लिया था वह मेरी फर्म श्रीजी रेस्टोरेन्ट से लिया गया था एवं जो जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। मैनें माउन्ट आबू स्थिति फर्म से उक्त मेदा लिया था, मेरे पास मेदा का बिल नही है। अब

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**F.S.S.Act Case No.23/2020** |
|---|---|
| | मैनें रेस्टोरेन्ट बंद कर दिया है एवं अहमदाबाद में प्राईवेट नौकरी करता हूँ। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ व लॉक डाउन में मेरा रेस्टोरेन्ट बंद हो गया है। मैं मेरा जुर्म/गलती स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।<br><br>प्रकरण में प्रतिवादी मदन सिंह द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी मदन सिंह की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अपने उक्त श्रीजी रेस्टोरेन्ट में आम जनता को आटा की रोटी आदि बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2019 को उक्त फर्म के निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ आटा के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त रेस्टोरेन्ट के स्टोर में रखे हुए खाद्य पदार्थ आटा के 5x45 किलोग्राम पैक्ड बेग में से एक पैक्ड बैग खोलकर खाद्य पदार्थ आटा को अच्छी तरह हिलामिलाकर उसमें से 2 किलोग्राम आटा को क्रय कर विधिवत कार्यवाई करते हुए खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप पाया गया है। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आटा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी मदनसिंह ने अनुरोध किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ को माउन्ट आबू की फर्म से ही पैक्ड अवस्था में खरीदा था, जिसका बिल उसके पास नही है। अब उसने उक्त रेस्टोरेन्ट बंद कर दिया है। वह गरीब व्यक्ति है व प्राईवेट नौकरी करता है, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।<br><br>हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.11.2019 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु प्रतिवादी मदन सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– माकोला सिसोदिया, राजसमन्द, जिला– राजसमन्द की फर्म श्रीजी रेस्टोरेन्ट, जैन मंदिर के पास, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। उक्त फर्म श्रीजी रेस्टोरेन्ट, जैन मंदिर के पास, देलवाडा, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी मदन सिंह पुत्र पूनम सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– मकोला सिसोदिया, राजसमन्द उपस्थित मिले, जो रेस्टोरेन्ट में आम जनता को खाद्य पदार्थ आटा की रोटी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ आटा के अमानक होने का शक होने पर रेस्टोरेन्ट के स्टोर में रखे हुए खाद्य पदार्थ आटा के 5x45 Kg पैक्ड बैग में से एक सील्ड पैक बैग खोलकर आटा को हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये गये आटा में से 2 किलोग्राम आटा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कीमतन नमूना जांच हेतु क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ आटा के नमूनें को जांच हेतु<br><br>लगातार |

नम्बर व ता. ... काम जो उस हुक्म से तामिलगी जारी हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.23/2020 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए |
|---|---|---|

खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./980/Act/2019/1033 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आटा के पैक्ड बैग के लेबल पर बैच नंबर एवं निर्माण व पैकिंग तिथि अंकित की हुई नही पाई गई। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ आटा के क्रय का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण की अनुसंधान के दौरान पेश नही किया एवं न ही इस न्यायालय में बिल प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मदन सिंह द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आटा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है; जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी मदन सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– माकोला सिसोदिया, राजसमन्द, जिला– राजसमन्द, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्रीजी रेस्टोरेन्ट, जैन मंदिर के पास, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर रशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मदन सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– माकोला सिसोदिया, राजसमन्द, जिला– राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 11.9.2020 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:37:54 IST
Reason: SelfAttested